संख्या-59/104आ. न.यो./9-8-14-5आ.न.यो(बजट)/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत-बुढाना, जनपद-मुजफ्फरनगर/नगर पंचायत-एलम, जनपद-शामली/नगर पंचायत-गढीपुख्ता, जनपद-शामली/नगर पंचायत-चोपन, जनपद-सोनभद्र/नगर पंचायत-महराजगंज, जनपद-रायबरेली/नगर पंचायत-बिशारतगंज, जनपद-बरेली/नगर पंचायत-बहुआ, जनपद-फतेहपुर/नगर पंचायत-अजुहां, जनपद-कौशाम्बी/नगर पंचायत-करारी, जनपद-कौशाम्बी/नगर पंचायत-सिराथू, जनपद-कौशाम्बी/नगर पंचायत-तालग्राम, जनपद-कन्नौज/नगर पंचायत-कोटरा, जनपद-जालौन/नगर पंचायत-बेसवां, जनपद-अलीगढ़/नगर पंचायत-कांठ, जनपद-मुरादाबाद/नगर पंचायत-कुन्दरकी, जनपद-मुरादाबाद/नगर पंचायत-करहल, जनपद-मैनपुरी/नगर पंचायत-सिकन्दरपुर, जनपद-बलिया/नगर पंचायत-सुरियावां, जनपद-संतरविदासनगर/नगर पंचायत-मोहनपुर, जनपद-कासगंज/नगर पंचायत-केराकत, जनपद-जौनपुर।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर पंचायतों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

छोटे एवं मध्यम नगर, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हैं, की अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लाटर हाउस, सड़क, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में आदर्श नगर योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-423आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ0 प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु आदर्श नगर योजना में प्रावधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 20 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराये गये डीपीआर के सापेक्ष कुल रूपये 899.65 लाख (रूपये आठ करोड़ निन्यानवे लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की

धनराशि रूपये 449.825 लाख (रूपये चार करोड़ उन्चास लाख बयासी हजार पांच सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) निकाय को वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदान की जा रही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिए जाने की सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में शेष 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित नागर निकाय को अवमुक्त की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.5.2013 में आदर्श नगर योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में सीधे जमा किया जायेगा।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत डेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।

(6) निदेशालय/स्थानीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित समयबद्ध एवं चरणबद्ध सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सडकों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(9) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराव होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तो में किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा प्रस्तावित सुधारों की मासिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा संकलित सूचना/प्रगति विवरण माह के प्रथम सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(12) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रख रखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, के लिये संबंधित निकाय कार्यदायी संस्था होगी।

(14) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(15) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(17) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(18) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/स्थानीय निकाय/जिलाधिकारी का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(19) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चैंकिग कराकर वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

शासन/निदेशालय/ महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1007-दस-14, दिनांक 24 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-59/104(1)आ.न.यो./9-8-14 तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-59/104आ.न.यो./नौ-आठ-2014-05आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	मुजफ्फरनगर	न.पं. बुढाना	बडौत रोड से डी0ए0वी0 कालेज के सामने से होते हुए कांधला रोड तक एसडीबीसी सडक निर्माण कार्य।	35.99	35.99		
			वार्ड नम्बर-13 में नासिर की दुकान से महरबान के मकान तक इण्टरलाक निर्माण व दोनों साइड सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	07.87	07.87		
			योग-		43.86	40.00	20.00
2	शामली	न.पं. एलम	मौहल्ला विकासनगर एलम में ओमप्रकाश के मकान से प्राईमरी स्कूल नम्बर-2 के पास सी.सी; इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	40.32	40.32		
			योग-		40.32	40.00	20.00
3	शामली	न.पं. गढीपुख्ता	मौ0 शिवपुरी में बसन्ते के मकान से राजकुमार के मकान तक सी.सी. इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	20.13	20.13		
			मौ0 शिवपुरी में सुन्दर के मकान से अनवर के मकान तक सी.सी. इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.92	14.92		
			मौ0 जैनपुरी में बस अड्डे से महावीर चौक तक सी.सी. इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	23.17	23.17		
			मौ0 कश्यपपुरी में घन्नी के मकान से दलपत के मकान तक सी.सी. इण्टर लाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	03.46	03.46		
			मौ0 शिवपुरी में सगीर के मकान से सतेन्द्र के मकान तक सी.सी. इण्टर लाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	05.92	05.92		
			मौ0 रैदासपुरी में नफीस के घेर से चौराहे तक सी.सी. इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13.94	13.94		
			योग-		81.54	80.00	40.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-59/104आ.न.यो./नौ-आठ-2014-05आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
4	सोनभद्र	न.पं. चोपन	वार्ड नम्बर-5 में शीतला माता के मन्दिर से हास्पीटल रोड़ तक 80 एम.एम. इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाला का निर्माण कार्य।	17.13	17.13		
			वार्ड नम्बर-11 में लालजी मिस्त्री के घर से कैलाश साहनी के घर तक 80 एम.एम. इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	14.47	14.47		
			वार्ड नमबर-10 एवं 6 में विनोद जायसवाल के घर से ईदगाह तक 80 एम.एम. इण्टरलाकिंग पेवमेन्ट का कार्य।	05.37	05.37		
			योग-		36.97	35.00	17.50
5	रायबरेली	न.पं. महराजगंज	नगर पंचायत में 100 नग सोलर लाईट लगाये जाने का कार्य।	25.69			
			योग-		25.69	25.00	12.50

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-59/104आ.न.यो./नौ-आठ-2014-05आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
6	बरेली	न.प.बिशारतगंज	ताल कटोरा से पुलिया तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	05.16	05.16		
			पुलिया से हरी के मकान तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	04.90	04.90		
			बाबू बैल्डिंग की दुकान से दद्दा के मेडिकल तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	05.16	05.16		
			हरी के मकान से रेलवे फाटक तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	05.18	05.18		
			ताल कटोरा से डा0 हरीश वर्मा की दुकान तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	05.18	05.18		
			सेवा राम के मकान से बाबू बैल्डिंग की दुकान तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	05.18	05.18		
			कृष्णपाल गोस्वामी के मकान से रेलवे फाटक तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	04.82	04.82		
			साहू मेडिकल से गल्ला गोदाम तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	04.99	04.99		
			डा0 हरी वर्मा की दुकान से ओम प्रकाश की दुकान तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	05.16	05.16		
			राजाराम की दुकान से सहारा क्लाथ हाउस तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	05.16	05.16		
			शंकर पंडित जी की दुकान से धर्मपाल हलवाई की दुकान तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	05.16	05.16		
			राम रतन साहू के मकान से कृष्णपाल गोस्वामी के मकान तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	05.00	05.00		
			गल्ला गोदाम से रेलवे स्टेशन तक पूर्वी इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	02.94	02.94		
			डा0 कादरी की दुकान से रेलवे स्टेशन तक पश्चिम इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	02.94	02.94		
			हरी के मकान से रेलवे फाटक तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्य।	05.16	05.16		
			योग-		72.09	70.00	35.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-59/104आ.न.यो./नौ-आठ-2014-05आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
7	फतेहपुर	न.पं. बहुआ	नगर पंचायत सीमा अन्तर्गत विभिन्न मार्गो पर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन 100 नग।	28.00	28.00		
			नगर पंचायत के विभिन्न वार्डो में सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन 16 नग।	14.82	14.82		
			करीम से इद्रीश के मकान होते हुए सतिनिया के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	08.20	08.20		
			ललौली रोड से लल्लू की प्लाट से होते हुए टावर तक इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	09.00	09.00		
			योग-		60.02	60.00	30.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव

संख्या-59/104आ.न.यो./नौ-आठ-2014-05आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
8	कौशाम्बी	अजुहां	विभिन्न वार्डो में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाइट का अधिष्ठापन 12 नग।	11.11	11.11		
			प्रमुख चौराहों पर सेमी हाई मार्क्स का अधिष्ठापन 05 नग।	09.25	09.25		
			योग-		20.36	20.00	10.00
9	कौशाम्बी	न.पं. करारी	हीरा मास्टर के घर से बरमदीन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.66	13.66		
			बच्चू के घर से गरीबे के घर तक एवं हसनैन के घर से मुन्ना के घर होते हुए मुन्नू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	08.81	08.81		
			योग-		22.47	20.00	10.00
10	कौशाम्बी	न.पं. सिराथू	रेलवे क्रासिंग मोड से विधायक के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	06.50	06.50		
			नगर पंचायत सीमा अन्तर्गत रोड पर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन।	14.00	14.00		
			योग-		20.50	20.00	10.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव

संख्या-59/104आ.न.यो./नौ-आठ-2014-05आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
11	कन्नौज्	न.पं. तालग्राम	50 स्टील टयूबलर पोल 9.5 मीटर मय सोडियम फिटिंग कम्पलीट अधिष्ठापन कार्य इन्दरगढ़ मार्ग रोड की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था हेतु।	19.85	19.85		
			100 नग सोडियम लाइट फिटिंग मय सेन्सर आनपोल कम्पलीट 150 वाट हैवेल्स कम्पनी माडल नम्बर-ओरियन नोवा 150 डब्लू0एस0वाई0।	08.34	08.34		
			योग-		28.19	27.65	13.825
12	जालौन	न.पं. कोटरा	विभिन्न वार्डो में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाइट का अधिष्ठापन 25 नग।	11.25	11.25		
			प्रमुख चौराहों पर सेमी हाई मार्क्स (फिलिप्स सूर्या) का अधिष्ठापन 05 नग।	09.25	09.25		
			नगर पंचायत सीमा अन्तर्गत रोड में एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट (फिलिप्स, सूर्या) का अधिष्ठापन 52 नग।	14.56	14.56		
			योग-		35.06	35.00	17.50

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव

संख्या-59/104आ.न.यो./नौ-आठ-2014-05आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
13	अलीगढ़	न.पं. बेसवां	रामबाबू बाल्मीक के मकान से श्यौदान सिंह के खेत तक इण्टर लाकिंग सीमेण्ट ब्रिक्स लगाने का कार्य।	28.44	28.44		
			योग-		28.44	28.00	14.00
14	मुरादाबाद	न.पं. कांठ	मुरादाबाद धामपुर हाईवे से मन्डी समिति होते हुऐ प्राईमरी पाठशाला मान नगर कांठ तक सी.सी. इण्टरलाकिंग निर्माण भाग-1	20.00	20.00		
			मुरादाबाद धामपुर हाईवे से मन्डी समिति होते हुऐ प्राईमरी पाठशाला मान नगर कांठ तक सी.सी. इण्टरलाकिंग निर्माण भाग-2	20.00	20.00		
			मुरादाबाद धामपुर हाईवे से मन्डी समिति होते हुऐ प्राईमरी पाठशाला मान नगर कांठ तक सी.सी. इण्टरलाकिंग निर्माण भाग-3	20.00	20.00		
			योग-		60.00	60.00	30.00
15	मुरादाबाद	न.पं.कुन्दरकी	वार्ड संख्या-4सतीश के घर से ईदगाह रोड तक सी.सी. टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	22.17	22.17		
			वार्ड संख्या-10 हाईवे से रेलवे पुलिया तक व रेलवे की पुलिया से रहमान की टाल तक सी.सी. टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	23.68	23.68		
			वार्ड संख्या-08 में कब्रिस्तान में सूखा के घर तक, सूखा के घर से पीपल तक सूखा के घर से इश्तियाक के घर तक सी.सी. टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	39.66	39.66		
			योग-		85.51	80.00	40.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव

संख्या-59/104आ.न.यो./नौ-आठ-2014-05आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
16	मैनपुरी	न.पं. करहल	रियाजुददीन के मकान से राजेश तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	05.88	05.88		
			रजनेश के घर से डालर बाबू के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	07.56	07.56		
			मुन्नू ठाकुर की मशीन से दुलारे के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	06.89	06.89		
			दुलारे के घर से जगदीश चन्द्र तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	08.55	08.55		
			जे.पी. के घर से अरविन्द के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	09.23	09.23		
			अरविन्द के घर से ऐजाज तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	04.53	04.53		
			ऐजाज के घर से हलीम तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	04.57	04.57		
			सुभाष सविता से सुबोध वर्मा व हाकिम से प्रदीप जैन व पुष्पा शर्मा से रामलाल व कैलाश से राजेश व अयूब से मकबूल के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	09.76	09.76		
			योग-		56.97	55.00	27.50

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव

संख्या-59/104आ.न.यो./नौ-आठ-2014-05आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
17	बलिया	न.पं. सिकन्दरपुर	वार्ड नमबर-11 में सुरेन्द्र गुप्ता के मकान से विरेन्द्र पाण्डेय के खेत तक लेपन एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	26.17	26.17		
			वार्ड संख्या-12, 10 व 9 में इलियास के दुकान से मिठाई लाल के घर होते हुए सिकन्दरपुर बेल्थरा मार्ग विजय बारी के घर तक लेपन कार्य।	12.86	12.86		
			वार्ड नम्बर-2 में भगवान चौधरी के मकान से चन्द्रमा चौधरी के मकान तक लेपन कार्य।	13.31	13.31		
			योग-		52.34	50.00	25.00
18	संतरविदासनगर	न.पं. सुरियावां	अशोक नगर पुलिया से राजदेव मौर्य तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	14.08	14.08		
			मुरलीधर पुलिया से अगवान बीर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	17.71	17.71		
			योग-		31.79	30.00	15.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव

संख्या-59/104आ.न.यो./नौ-आठ-2014-05आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
19	कासगंज	न.पं. मोहनपुर	गिलौली रोड से चिन्तामणी स्कूल के पीछे होती हुई गुल्ला नगर तक सड़क निर्माण कार्य।	49.31	49.31		
			दिलीप कुमार के मकान से पी0डब्लू0डी0 रोड तक सडक निर्माण कार्य।	10.28	10.28		
			योग-		59.59	59.00	29.50
20	जौनपुर	न.पं. केराकत	मेन चौराहे से बस स्टैण्ड पर उत्तरी तरफ सी.सी. इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	25.00	25.00		
			मेन चौराहा से मौर्या टेन्ट हाउस तक दोनों पटरी पर सी.सी. इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	40.35	40.35		
			योग-		65.35	65.00	32.50
			कुल योग-			899.65	449.825

(रूपये चार करोड़ उन्चास लाख बयासी हजार पांच सौ मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव